महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, फोन न0 01352740926
Email:pccfvanpanchayat@gmail.com

पत्रांक– 320 /18–5 दिनांक 25/10/ 2021

सेवा में,

1. वन संरक्षक, यमनुा वृत्त, देहरादून।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीकरेती।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी
5. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
6. वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
7. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
8. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, नैनीताल।

विषयः पंचायती वनों के बीटों के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयक क्रम मे अवगत कराना है कि वर्तमान समय तक केवल लक्षित योजनाओं के कार्यों के सम्पादन हेतु कार्य भारिकों (वन रक्षक / वन विद) को वन पंचायत का आवंटन किया जाता है। कार्य भारिकों द्वारा जिन वन पंचायतों में कार्य होता है, केवल उन्हीं वन पंचायतों मे भ्रमण / निरीक्षण किये जाने की परिपाटी रही है।
2. पंचायती वन नियमावली, 2005 (संशोधित 2012) के नियम–16(ड़) के तहत वन रक्षक / वन दरोगा / उप राजिकों को प्रबन्धन समिति का **सचिव** होगा, उक्त के क्रम में इस कार्यालय द्वारा वन पंचायतों के सचिवों के कार्यभार के बिन्दुओं को **पत्रांक 87 / 18–5 दिनांक 31.07.2021** के द्वारा जारी किया गया है। परन्तु वन रक्षक / वन विद / उपराजिक को प्रभागीय स्तर पर सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने हेतु अभी तक कोई प्रशासनिक आदेश निर्गत नहीं किया गया है।
3. क्षेत्रीय वन प्रभागों के स्तर पर संरक्षित एवं आरक्षित वन के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु बीट / सैक्सन गठित है, परन्तु आरक्षित वनों से गठित पंचायती वनों तथा आरक्षित वनों से लगे सिविल भूमि वाले पंचायती वनों के लिये स्थानीय विभागीय स्टाफ (वन रक्षक / वन विद / उपराजिक) को सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने हेतु कोई प्रशासनिक इकाई तय नही किया गया है। साथ ही सिविल सोयम (अक्षेत्रीय) वन प्रभागों द्वारा भी उनके क्षेत्र में आने वाले वन पचायतों मे कार्य करने हेतु धरातलीय प्रशासनिक ईकाई यथा बीट / सैक्सन के रूप में गठित नहीं किया गया है। इसके चलते दोनो क्षेत्रीय तथा अक्षेत्रीय वन प्रभागों में पचायती वन विशेष को लेकर विभागीय स्टाफ (वन रक्षक / वन विद / उपराजिक) को सदस्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन हेतु प्रशासनिक आदेश निर्गत नहीं हो सका है।
4. उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 292(1)ix-1-2020-14(11)/2020 द्वारा गठित वन विभाग के ढांचा गठन समिति के जारी अभ्यास मे एक ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आरक्षित वन के साथ साथ इससे लगे पंचायती वनों को भी देखे जाने का प्राविधान किया जा रहा है उसी हिसाब से सिविल सोयम (अनारक्षित) वन प्रभागों के वनाधिकारियों द्वारा अक्षेत्रीय वनों के साथ क्षेत्रीय वनों को भी देखे जाने का प्राविधान रखा जा रहा है।
5. **वर्णित बिन्दु सं0 1 से 4 तक में तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है, कि पंचायती वन क्षेत्रों के लिये आवश्यकतनुसार वन प्रभाग के अन्तर्गत बीट गठन अभ्यास तुरन्त प्रभागीय वनाधिकारियों के स्तर पर शुरू किया जाना आवश्यक है।**
6. यह भी अवगत कराया जाना है कि वर्तमान समय में वन पंचायतों की संख्या एवं क्षेत्रफल में व्याप्त त्रुटियों का निराकरण कर अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस क्रम मे गतिमान अभ्यास के तहत प्रत्येक वन प्रभाग के संशोधित संख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार बीट निर्धारण का कार्य किया जाना होगा।
7. वन पचायत के बीट गठन अभ्यास के लिये निम्न मानके अपनायी जा सकेः

7.1 क्षेत्रीय वन प्रभागों के लिये

7.1.1 क्षेत्रीय वन प्रभागों के नियत्रणाधिन आरक्षित वन से गठित वन पंचायतों तथा आरक्षित वन के निकटस्थ सिविल भूमि से गठित वन पंचायतों के लियेः

सदस्य सचिव के जिम्मेदारी का निर्वाहन स्थानीय वन रक्षक / वन विद / डिप्टी रेंजर द्वारा किया जा सकता है। आरक्षित वन की अन्य क्षेत्र विशेष जिम्मेंदारियों को देखते हुये स्थानीय वन रक्षक / वन विद / डिप्टी रेंजर को 5 से 10 तक वन पचायतों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन वन पंचायतों के कलस्टर को मौजूदा बीट मे ही शामील करते हुये स्थानीय वन रक्षक / वन विद / डिप्टी रेंजर को इन वन पंचायतों के सदस्य सचिव के अतिरिक्त जिम्मेदारी दिया जाना उचित रहेगा।

7.1.2 क्षेत्रीय वन प्रभागों के नियत्रणाधिन सिविल भूमि से गठित पंचायती वनों जो आरक्षित वन के निकट न हो के आवश्यकतानुसार नव बीट गठन के लिये:

ऐसी स्थिति में पंचायती वनों के लिये एक अलग बीट का गठन करना उचित रहेगा, जिसमें 15–20 तक वन पंचायतों को एक बीट के रूप में गठन कर वन रक्षक/वन विद/डिप्टी रेंजर को सदस्य सचिव के रूप में तैनात किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

7.2 अक्षेत्रीय वन प्रभाग के नियत्रणाधिन सिविल भूमि से गठित पंचायती वनों के नव बीट गठन के लिये:

ऐसी स्थिति में पंचायती वनों के लिये एक अलग बीट का गठन करना उचित रहेगा, जिसमें 15–20 तक वन पंचायतों को एक बीट के रूप में गठन कर वन रक्षक/वन विद/डिप्टी रेंजर को सदस्य सचिव के रूप में तैनात किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

7.3 बिन्दु सं0 8.1 तथा 8.2 में उल्लिखित पंचायती वनों के बीट गठन के समय निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, **जो क्षेत्रीय एवं अक्षेत्रीय वन प्रभागों के लिये समान रूप से लागू होगा:**

i. वन पंचायतों का छितरापन
ii. वन पंचायतों का क्षेत्रफल
iii. सड़क के सिरे से दूरस्थता

7.4 पंचायती वनों के बीटों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि **एक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन पंचायतों को एक ही बीट मे शामिल** करते हुये बीट का निर्धारण किया जाये। इससे वन पंचायतों का ग्राम पंचायतों के साथ कार्यकारी सम्बन्ध बनाते हुये कार्य करने में आसानी रहेगी।

बिन्दु संख्या 7.1 से 7.4 तक उल्लिखित मानकों के आधार पर स्थानीय वन संरक्षक के नेतृत्व में स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा स्थलीय विशेषता के आधार पर बीट गठन का कार्य किया जाना होगा।

उक्त के साथ–साथ वन प्रभागों द्वारा उक्त रूप से गठित बीटों को प्रशासनिक ढाचे में समाहित करते हुये अनुभाग का गठन तथा राजि का गठन किया जाना होगा। इसके लिये प्रत्येक बीट के उपर्युक्त कलस्टरिंग के आधार पर **2 से 3 बीट (50 से 75 वन पंचायत)** पर **एक अनुभाग** तथा **150 तथा 200 वन पंचायतों** पर **एक राजि** के अधीन रखे जाने का निर्णय लिया जाय।

उक्त के क्रम में वन संरक्षकों अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले वन प्रभागों में बीट गठन का अभ्यास बिन्दु संख्या 7 में दिये गये मानकों के आधार पर पूर्ण कर **दिनांक 20.11.2021** तक निम्न प्रपत्रों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:

प्रपत्र–1. क्षेत्रीय वन प्रभागों के नियत्रणाधिन आरक्षित वन से गठित वन पंचायतों तथा आरक्षित वन के निकटस्थ सिविल भूमि से गठित वन पंचायतों के लिये प्रपत्र

आरक्षित वन वाले बीट का नाम	वन पंचायतों की			बीटवार (कुल क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	राजि का नाम
	संख्या	नाम	क्षेत्रफल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र–2. क्षेत्रीय वन प्रभागों के नियत्रणाधिन सिविल भूमि से गठित पंचायती वनों जो आरक्षित वन के निकट न हो के आवश्यकतानुसार नव बीट गठन के लिये प्रपत्र

नव गठित बीट का नाम	वन पंचायतों की			बीटवार (कुल क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	राजि का नाम
	संख्या	नाम	क्षेत्रफल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र–3. अक्षेत्रीय वन प्रभाग के नियत्रणाधिन सिविल भूमि से गठित पंचायती वनों के नव बीट गठन के लिये प्रपत्र

नव गठित बीट का नाम	वन पंचायतों की			बीटवार (कुल क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	राजि का नाम
	संख्या	नाम	क्षेत्रफल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र–4. क्षेत्रीय वन प्रभागों के लिये बीट तथा अनुभाग गठन हेतु प्रपत्र (यह अभ्यास प्रपत्र–1 व 2 से जुड़ा है)

प्रभाग का नाम	पुराने बीट की सं0	नये बीट की संख्या	अन्तर (3–2)	पुराने अनुभाग की सं0	नये अनुभाग की सं0	अन्तर (6–5)
1	2	3	4	5	6	7